



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220190
CG-DL-E-26062020-220190

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1842]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942

No. 1842]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 2079(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, झारखंड राज्य, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची
जगदीशपुर - हल्दिया एण्ड धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट
दोभी से हल्दिया

राज्य: झारखण्ड

जिला	तहसील	गाँव	थाना नं०	सर्व नंबर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
चतरा	इटखोरी	टोनाटांड़	106	805	00	05	34
चतरा	कान्हाचट्टी	राजपुर	79	1077	00	02	71
				1066	00	04	65
हजारीबाग	बरकट्टा	गोरहर	123	10935	00	00	51
				647	00	00	66
				648	01	00	81
				3801	00	00	03
				3828	00	00	42
				3821	00	06	68
				3879	01	07	04
				3887	00	01	68
				5245	00	00	17
				5248	00	01	43
				5237	00	00	98
				5236	00	00	21
				5235	00	01	52
				5691	00	06	78

[फा. सं. एल-14014/27/2020-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2079(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) and spur pipeline, in the State of Jharkhand, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, State of Jharkhand, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

Jagdihsapur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline Project

Dobhi To Haldia

State - Jharkhand

Dist	Block	Village	Thana No	Survey No.	Area		
					Hect.	Are	Sq. Mtr.
Chatra	Itkhor	Tonatand	106	805	00	05	34
Chatra	Kanhachatti	Rajpur	79	1077	00	02	71
				1066	00	04	65
Hazaribagh	Barkatta	Gorhar	123	10935	00	00	51
				647	00	00	66
				648	01	00	81
				3801	00	00	03
				3828	00	00	42
				3821	00	06	68
				3879	01	07	04
				3887	00	01	68
				5245	00	00	17
				5248	00	01	43
				5237	00	00	98
				5236	00	00	21
				5235	00	01	52
				5691	00	06	78

[F. No. L- 14014 /27/2020 -GP – II]

RAJ KISHORE, Under Secy.